FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 26/05/2025 16:57 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	419
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)

Anti Corruption Bureau * Rohtak Range, Rohtak * Police Station

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday Date from (दिनांक से): 31/01/2024 Date To (दिनांक तक): 31/01/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 1 Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/05/2025 Time (समय): 16:20 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date and Time (दिनांक और समय): 26/05/2025 16:29 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 42 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): HSIIDC बहादुरगढ जिला झज्जर,

Scanned with OKEN Scanner

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): ROHTASH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/06/1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ0नि0ब्यूरो, उपकेन्द्र झज्जरJHAJJAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ0नि0ब्यूरो, उपकेन्द्र झज्जरJHAJJAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416416992

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सोनू पटवारी		Father's Name: राज सिँह	1. शिव मन्दिर वाली गली,गांव कारौर जिला रोहतक ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	सुनिल कुमार		Father's Name: राज सिँह	1. गांव चिमनी,तहसील बेरी जिला झज्जरJHAJJAR,HARYANA,INDIA

Anti Corruption Bureau Rohtak Range Police Station

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

Scanned with OKEN Scanner

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

रोहतक मण्डल,रोहतक

श्रीमान जी,

शिकायत/27/रोहतक/2024 कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के क्रमांक 4032/शिकायत/27/रोहतक/2024 दिनांक 30.01.2024 व पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के पत्र क्रमांक 489/सी.सी./भ्र0नि0ब्यूरो/रोहतक दिनांक 29.02.2024 के अनुसार उक्त शिकायत सत्यापन/विश्लेषण हेतू प्राप्त हुई थी । उक्त शिकायत अमन पाण्डेय, वैल्यू क्रिएचर, प्लाट नं0 37, औधोगिक क्षेत्र, बहादुरगढ (हरियाणा) 124507 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से गांव कसार तहसील बहादुरगढ की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे से सम्बन्धित 01 करोड़ रूपये से अधिक राशि सोनू पटवारी, जोगिन्द्र पटवारी व कुलवन्त कानूनगो ने आपस में मिलिभगत करके सुनिल के बैंक खाते में गलत ट्रांसफर करने बारे दी थी ।

2. उक्त शिकायत के सत्यापन/विश्लेषण के दौरान शिकायकर्ता अमन पाण्डेय, वैल्यू क्रिएचर, प्लाट नं0 37, औधोगिक क्षेत्र, बहादुरगढ (हरियाणा) 124507 द्वारा दिया गया पता गलत पाया गया । वर्ष 2003 में गांव कसार, जाखौदा व सांखौल की जमीन HSIIDC बहादुरगढ के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी, जिसका भुगतान कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी झज्जर द्वारा किया गया था । उसके बाद गांव कसार, जाखौदा व सांखौल के भूमि स्वामियों द्वारा मुआवजा बढोतरी के लिए माननीय अदालत श्री M.C.Mehra, Addl. District Judge, Jhajjar में केस डाला गया । जिसका फैसला दिनांक 24.03.2009 को आया । जिस पर भूमि स्वामियों द्वारा असंतुष्टि जाहिर की जाकर मुआवजा बढोतरी के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में RFA No. 3787 of 2011 titled Gaje Singh etc. State of Haryana दायर की गई । जिसका फैसला माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ द्वारा दिनांक 06.11.2015 को भूमि स्वामियों के हक में किया गया । उसके पश्चात HSIIDC विभाग बहादुरगढ द्वारा APR (Amount Paid Register) तैयार करके कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर के पास भेजी गई । फिर कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर द्वारा जमीन अधिग्रहण से सम्बन्धित राशि भूमि स्वामी के खाते में ट्रांसफर की गई ।

3. रिशिपाल, हरपाल व विजयपाल सोलंकी पुत्र श्री नयादर सिँह सोलंकी पुत्र श्री अमी लाल निवासी डाबरी, नई दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से सम्बन्धित LAC No. 305/2005/2008 के माध्यम से माननीय अदालत श्री M.C.Mehra, Addl. District Judge, Jhajjar में केस डाला गया था । उसके बाद माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में RFA No. 3787 of 2011 titled Gaje Singh etc. State of Haryana दायर की गई । मुताबिक रिकार्ड LAC No. 305/2005/2008 से सम्बन्धित गांव कसार की जमीन खेवट नं0 15,16 व किला नं0 7/23/2, 7//24, 12/4/2, 4/1, 3 कुल जमीन 27 कनाल 6 मरला के असल मालिक उपरोक्त रिशिपाल, हरपाल व विजयपाल थे । रिशिपाल व हरपाल ने बतलाया है कि उनको उपरोक्त जमीन के अधिग्रहण से सम्बन्धित दो बार का मुआवजा तो मिल चुका है लेकिन तीसरी बार का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है । जमीन अधिग्रहण की बढी हुई मुआवजा राशि से सम्बन्धित APR (Amount Paid Register) पहले तो HSIIDC विभाग द्वारा रिशिपाल, हरपाल व विजयपाल उपरोक्त के नाम तैयार की गई, उसके पश्चात सोनू पटवारी HSIIDC बहादुरगढ ने HSIIDC विभाग व कार्यालय राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलिभगत करके बिना किसी दस्तावेज के सुनिल कुमार पुत्र राज सिँह निवासी गांव चिमनी, तहसील बेरी जिला झज्जर अस्थाई पता फलैट नं0 21,साऊथ एवैन्यू, नजदीक तीन मुर्ति, नई

Scanned with OKEN Scanner

दिल्ली के नाम APR (Amount Paid Register) तैयार की जाकर कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर द्वारा दिनांक 12.01.2018 को 1,08,74,568 रूपये सुनिल कुमार के खाता नं0 917010077746892 में ट्रांसफर करवा दिये । उपरोक्त घटनाक्रम में सोनू तत्कालीन पटवारी HSIIDC बहादुरगढ व सुनिल कुमार (प्राईवेट व्यक्ति) पुत्र राज सिंह निवासी गांव चिमनी, तहसील बेरी जिला झज्जर अस्थाई पता फलैट नं0 21,साऊथ एवैन्यू, नजदीक तीन मुर्ति, नई दिल्ली के ईलावा कार्यालय HSIIDC बहादुरगढ, कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, झज्जर के अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य प्राईवेट व्यक्तियों की (मिलिभगत) संलिप्तता की संभावना है । अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सोनू पटवारी HSIIDC बहादुरगढ पुत्र राज सिंह निवासी शिव मन्दिर वाली गली, गांव कारौर तहसील सांपला जिला रोहतक व सुनिल कुमार पुत्र राज सिंह निवासी गांव चिमनी, तहसील बेरी जिला झज्जर अस्थाई पता फलैट नं0 21,साऊथ एवैन्यू, नजदीक तीन मुर्ति, नई दिल्ली द्वारा आपस में मिलिभगत करके षड्यंत्र रचकर धोखाधडी से झूठे दस्तावेज तैयार करके सरकारी पद का दुरूपयोग करके राशि 1,08,74,568/- रूपये का गबन करने पर उनके विरूध धारा 409/419/420/467/468/471/120B भा.द.स. व 13(1) (C) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किए जाने की सिफारिश सहित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक के पत्र क्रमांक 1342 दिनांक 01.04.2025 अनुसार अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला को भेजी गई थी । सोनू पटवारी HSIIDC बहादुरगढ द्वारा लोकसेवक होते हुए सार्वजनिक धन का दुरूपयोग करने का कृत्य प्रथम दृष्टया आपराधिक है और यह स्पष्ट रूप से लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के वैध दायरे में नहीं आता है । अतः इसमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी SOP के अनुसार 17 ए की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 7665/शिकायत/27/रोहतक/2024 दिनांक 01.05.2025 व पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 1574 दिनांक 03.05.2025 अनुसार सोनू पटवारी HSIIDC बहादुरगढ पुत्र राज सिंह निवासी शिव मन्दिर वाली गली, गांव कारौर तहसील सांपला जिला रोहतक व सुनिल कुमार पुत्र राज सिंह निवासी गांव चिमनी, तहसील बेरी जिला झज्जर अस्थाई पता फलैट नं0 21,साऊथ एवैन्यू, नजदीक तीन मुर्ति, नई दिल्ली के विरूध धारा 409/419/420/467/468/471/120B भा.द.स. व 13(1) (C) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है । अभियोग पंजीकृत करके अफसरानबाला को बजरिया टेलीफोन,ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रैट साहब को भेजी जाये । अभियोग में आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा व तफतीश के दौरान अन्य किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी या किसी भी प्राईवेट व्यक्ति की संलिप्तता/दोष/रोल पाये जाने पर उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी । हस्ता अंग्रेजी Rohtash
निरीक्षक (रोहताश कुमार),
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
उपकेन्द्र झज्जर

Anti Corruption Bureau Rohtak Police Station

अज थाना हस्व आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 14 दिनांक 26.05.25 धारा 409/419/420/467/468/471/120B भा.द.स. व 13(1) (C) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना भ0नि0ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान वाला व डयुटी मैजिस्ट्रेट साहब झज्जर को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी महिला निरीक्षक प्रमीला न0 189/सोनीपत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक जगपाल सिंह न0 288/H की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (**प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया**): / or (**या**)

(2)

Scanned with OKEN Scanner

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Parmila Devi Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 189SPT to take up the Investigation (को जांच अपने पारा में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Anti Corruption Bureau * Rohtak Range, Rohtak * Police Station

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): JAGPAL SINGH

Rank (पद): Inspector

No. (सं0.): 288/H

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner